

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 2530] No. 2530] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 1, 2013/कार्तिक 10, 1935

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 1, 2013/KARTIKA 10, 1935

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2013

का.आ. 3299 (अ).—जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 8 की उप-धारा (1) तथा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अक्तूबर, 2013 के प्रथम दिवस को तथा उससे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नामक एक निकाय स्थापित किया है। 21 फरवरी, 2013 को गैर-सरकारी सदस्यों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों को नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए दिनांक 22 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 262(अ) तथा दिनांक 17 फरवरी, 2010 की परवर्ती अधिसूचना संख्या का.आ. 389(अ) में 17 अक्तूबर, 2013 को और उससे संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रमांक 12 से 15 तक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रमांक तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

4618 GI/2013

(12) डॉ. एस. सुब्रह्माणियन, (16.10.2016 तक नियुक्त) सं. 54, वीजीपी, गोल्डन सी व्यू, पार्ट-2, द्वितीय मेन रोड, 5वां क्रास स्ट्रीट, पालावक्कम, चैन्नई-600041

- (13) डॉ. आर. एस. राणा, (16.10.2016 तक नियुक्त) चैयरमेन, बायो-लिंक डी-43, इन्द्रप्रस्थ अपार्टमेंट, सेक्टर 14, रोहिणी नई दिल्ली-110025
- (14) प्रो. एम. के. रमेश, (16.10.2016 तक नियुक्त) विधि प्रोफेसर नेशनल लॉ. स्कूल ऑफ इंडिया, नगरभवी, बेंगलरू-560072
- (15) विश्वजीत धर, (16.10.2016 तक नियुक्त)
 महानिदेशक,
 रिसर्च एंड इनफार्मेशन सिस्टम (आरआईएस),
 कोर 4-बी, चतुर्थ तल, भारतीय पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड,
 नई दिल्ली-110003

[फा. सं. जे-22018/46/2003-सीएस-।।।] एस.पी.एस. परिहार, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 22 फरवरी, 2007 के का.आ. 262(अ) और दिनांक 17 फरवरी, 2010 के परवर्ती का.आ. 389(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2013.

S.O. 3299 (E)—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (4) of Section 8 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government has established a body called the National Biodiversity Authority, on and from the 1st day of October, 2003 for the purposes of the said Act. After expiry of the term of the non-official members on 21st February, 2013, the Central Government hereby appoints the following non-official members to the National Biodiversity Authority and for that purpose amends the notification number S.O. 262 (E) dated 22nd

February, 2007, and subsequent Notification No. S.O. 389(E) dated 17th February, 2010, on and from 17th October, 2013 namely:—

In the said notification, for serial number 12 to 15 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

(12) Dr. S.Subramaniyan, (Appointed upto 16-10-2016)

No.54, VGP, Golden Sea View,

Part-II, 2nd Main Road,

5th Cross Street, Palavakkam,

Chennai-600 041

(13) Dr. R.S.Rana, (Appointed upto 16-10-2016)

Chairman, Bio-Link

D-43, Indraprastha Apartments

Sector 14, Rohini

New Delhi-110 025

(14) Prof. M.K. Ramesh, (Appointed upto 16-10-2016)

Professor of Law,

National Law School of India,

Nagarbhavi,

Bangalore-560072

(15) Biswajit Dhar, (Appointed upto 16-10-2016)

Director General,

Research and Information System (RIS),

Core 4B, 4th floor, India Habitat Centre, Lodhi Road,

New Delhi-110003

[F. No. J-22018/46/2003-CS-III]

S.P.S. PARIHAR, Jt. Secy.

Foot Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section −3, Subsection (ii) vide S.O 262 (E) dated the 22nd February, 2007 and subsequent Notification No. 389(E) dated 17th February, 2010.